



HAMIRPUR POLICE



दिनांक-12/10/2020

साइबर सेल

साइबर सेल हमीरपुर द्वारा ऑनलाइन ठगी का शिकार हुये 03 लोगों के 35933/- रुपये वापस करवाये गये।

केस 1-

अवगत कराना है कि दिनांक 12 व 13 मई 2020 को कोतवाली सदर हमीरपुर के ब्रम्हा का डेरा निवासी ज्ञान सिंह पुत्र सन्तराम को एक अज्ञात मो०नं० से कॉल कर शासकीय आवास आवंटित होने की सूचना दी गयी थी और एक अकाउंट नम्बर नोट कराया कि इस में 6000/- रुपया तत्काल भेज दें, उपरोक्त ज्ञान सिंह द्वारा उसी दिन 6000/-रुपया बताये गये खाते में जमा कर दिया, अगले दिन पुनः फोन आया कि उक्त खाते में 6100/- रुपये और भेज दें, उपरोक्त ज्ञान सिंह द्वारा फिर से 6100/- उस खाते में जमा करा दिया। जब यह बात पड़ोस के लोगों को बताया तो यह ज्ञात हुआ कि उस के साथ धोखा-धड़ी की गयी है, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के समक्ष धोखा-धड़ी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी की **धनराशि 10800/- रुपये वापस करायी गयी।**

केस 2-

दिनांक 04/09/2020 को नीरज कुमार पुत्र कमलेश कुमार निवासी कम्हरिया थाना मौदहा के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन ठगी की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए उपरोक्त नीरज के **4000/- रुपये खाते में वापस कराये गये।**

केस 3-

जावेद अहमद निवासी बदनपुर कोतवाली सदर हमीरपुर द्वारा गूगल-पे के माध्यम से ऑटोमेटिक पेमेंट मोड से 21133/- रुपया कट जाने के संबंध में कोतवाली हमीरपुर में मु०अ०सं०- 164/20 में अभियोग पंजीकृत कराया था, उक्त प्रकरण में साइबर सेल द्वारा कार्यवाही करते हुए बैंक के माध्यम से **संपूर्ण धनराशि 21133/- रुपया उपरोक्त जावेद के खाते में वापस कराये गये।**

"हमीरपुर पुलिस आम जनमानस से अपील करती है कि अपने ओटीपी/पासवर्ड आदि व्यक्तिगत/गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें तथा लुभावने ऑफर आदि को बिना-जांचे परखे किसी लिंक या एप्लीकेशन पर भुगतान न करें और न ही किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी एप अपने मोबाइल/कम्प्यूटर में एक्टिवेट/डाउनलोड न करें। यह धोखाधड़ी आदि का जरिया हो सकता है, स्वयं जागरूक बने तथा अपने नजदीकी लोगों को भी यह जानकारी साझा करें"